प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2864/1997

याचिकाकर्तागण - 1.रामविलास, पिता – सुखियाल साहू, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी – ग्राम डबरीपारा, तहसील – सूरजपुर, जिला – सरगुजा, म.प्र.।

2. कमलाकर, पिता – नारायण सैदानी, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी – ग्राम विश्रामपुर, तहसील – सूरजपुर, जिला – सरगुजा, म.प्र.।

3. जगनारायण सिंह, पिता – आनंद सिंह गोंड, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी – ग्राम मदनेश्वरपुर, तहसील – सूरजपुर, जिला – सरगुजा, म.प्र.।

4. रामलखन सिंह, पिता – अमरसाई गोंड, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी – ग्राम शिवप्रसाद नगर, तहसील – सूरजपुर, जिला – सरगुजा, म.प्र.।

5. बृज मोहन, पिता – जगरूप यादव, निवासी – ग्राम नारायणपुर, तहसील – सूरजपुर, जिला – सरगुजा, म.प्र.।

6. कामेश्वर, पिता – कपिलदेव प्रसाद राजवार, निवासी – ग्राम सरमा, तहसील – सूरजपुर, जिला – सरगुजा, म.प्र.।

7. घूरन सिंह, पिता – मानसाई गोंड, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी – ग्राम टेंडूपारा, तहसील – सूरजपुर, जिला – सरगुजा, म.प्र.।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण - 1) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा महाप्रबंधक, एसईसीएल, बिलासपुर, पोस्ट बिलासपुर, म.प्र. ।

2) मुख्य महाप्रबंधक, एसईसीएल, बैकुंठपुर, दस-बैकुंठपुर, जिला-सरगुजा, म.प्र.

3) महाप्रबंधक, एसईसीएल भटगावा क्षेत्र, पोस्ट भटगाव,

जिला सरगुजा म.प्र.

4) उप क्षेत्र प्रबंधक, एसईसीएल, भटगावा, पोस्ट-भटगाव, जिला। सरगुजा, म.प्र.।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

<u>उपस्थित</u>:-

याचिकाकर्ता की ओर से श्री एफ. एस. खरे, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण की ओर से श्री विवेक वर्मा, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 1 अगस्त, 2007 को पारित)

याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्तागण का चयन वर्ष 1984-1985 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के भटगांव कोलियरी में श्रेणी-1 मजदूर के पद पर नियुक्ति हेतु किया गया था। चयनित होने के बावजूद, याचिकाकर्तागण को उक्त पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। याचिकाकर्तागण ने यह याचिका जुलाई, 1997 में लगभग 12 वर्ष के दीर्घ विलंब के पश्चात् प्रस्तुत किया है।

(2) याचिकाकर्ता दिनांक 21-04-1987 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा एम.पी. क्रमांक 1002/1985 (*प्रभाकर सिंह एवं अन्य बनाम महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स, बैकुंठपुर एवं अन्य*) में पारित आदेश के आधार पर अनुतोष की प्रार्थना करते हैं, जिसमें माननीय युगल पीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए यह आशा व्यक्त की थी कि यदि याचिकाकर्ता 'लोडर' के रूप में नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाए गए हों, तो उत्तरवादीगण द्वारा उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

इसके पश्चात् एक अन्य याचिका, अर्थात् एम.पी. क्रमांक 2944/1989 भी प्रस्तुत की गई। इस बीच, कुछ व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई।

(3) यद्यपि जो भी हो, याचिकाकर्तागण ने न्यायालय का दरवाजा यथोचित/समुचित समय के भीतर नहीं खटखटाया है तथा उन्होंने लगभग 12 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात्, जुलाई 1997 में रिट क्षेत्राधिकार का आश्रय लिया है, यह निर्देश प्राप्त करने हेतु कि उन्हें भी वही अनुतोष प्रदान की जाए जो एम.पी. क्रमांक 2944/1989 में समान स्थिति वाले 12 व्यक्तियों को प्रदान की गई थी। इस प्रकार, यह रिट याचिका 12 वर्ष के अस्पष्टीकृत एवं अत्यधिक विलंब के कारण, इसी चरण पर खारिज किए जाने योग्य है।

(4) यह विधि द्वारा सुस्थापित है कि उच्च न्यायालय, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, सामान्यतः विलंब करने वाले, उदासीन, मौन स्वीकृति देने वाले अथवा शिथिल व्यक्तियों की सहायता नहीं करता, क्योंकि विलंब से किया गया न्यायालयीन आग्रह अन्य पक्षकारों पर न केवल असुविधा एवं कठिनाई, बल्कि अन्याय भी उत्पन्न कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) पी.एस. सदाशिवस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिलिखित किया :–

> *'ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए कोई परिसीमा अवधि निर्धारित है, और न ही यह कहा जा सकता है कि किसी निश्चित अवधि के उपरांत न्यायालय किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तथापि, यह न्यायालयों के विवेक का उचित एवं न्यायसंगत प्रयोग होगा कि वे ऐसे व्यक्तियों के मामलों में, जो त्वरित रूप से अनुतोष प्राप्त करने हेतु न्यायालय का आश्रय नहीं लेते, बल्कि घटनाओं को घटित होने देते हैं और उसके पश्चात् न्यायालय में विलंब से आकर काल्पनिक/विलंबित दावे प्रस्तुत कर पहले से निराकृत*

मामलों को पुनः विचलित करने का प्रयास करते है, अपने असाधारण अधिकारों का प्रयोग करने से इंकार करें।"

(6) *मप्र राज्य वि. नंदलाल जायसवाल एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निम्नानुसार अभिलिखित किया :–*

"अब यह विधि द्वारा सुस्थापित है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उपयुक्त रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति विवेकाधीन है, और इस विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय सामान्यतः विलंब करने वाले , उदासीन, मौन स्वीकृति देने वाले अथवा शिथिल व्यक्तियों की सहायता नहीं करता। यदि याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर करने में अत्यधिक विलंब हुआ हो और उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिया गया हो, तो उच्च न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप करने एवं अनुतोष प्रदान करने से इंकार कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विलंब अथवा अतिविलंब के इस सिद्धांत का विकास अनेक कारकों पर आधारित है। उच्च न्यायालय सामान्यतः अपने रिट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विलंब से किए गए उपाय को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इससे भ्रम एवं जन-असुविधा उत्पन्न होने की संभावना रहती है तथा इसके परिणामस्वरूप नए प्रकार के अन्याय भी उत्पन्न हो सकते हैं।

तृतीय पक्षकारों के अधिकार भी बीच में उत्पन्न हो सकते हैं, और यदि अनुचित विलंब के पश्चात् दायर रिट याचिका पर रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इससे न केवल कठिनाई एवं असुविधा, बल्कि तृतीय पक्षकारों के प्रति अन्याय भी हो सकता है। जब उच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र आहूत किया जाता है, तब बिना स्पष्टीकरण के विलंब तथा इस बीच तृतीय पक्षों के अधिकारों का सृजन, ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिन पर उच्च न्यायालय यह निर्णय लेते समय विचार करता है कि उक्त अधिकारिता का प्रयोग किया जाए या नहीं।

हम इस निर्णय को इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के संदर्भ से भारित करना आवश्यक नहीं समझते, जिनमें अनेक बार यह प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ अत्यधिक एवं अस्पष्टीकृत विलंब हो तथा मध्यावधि में तृतीय पक्षों के अधिकार सृजित हो गए हों, वहाँ उच्च न्यायालय हस्तक्षेप से इंकार करेगा, भले ही राज्य की कार्यवाही असंवैधानिक या अवैध ही क्यों न हो।"

(7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम दीनबंधु मजूमदार एवं अन्य** *के प्रकरण में निम्न प्रकार अवलोकन किया है—*

> "हमारे मत में, कर्मचारी द्वारा मामले में आपत्ति न उठाने का उसका आचरण ही उच्च न्यायालय के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए कि वह ऐसे आवेदनों पर विचार न करे, विशेषकर स्वीकृति, अत्यधिक विलंब एवं लापरवाही के आधार पर।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) उपर्युक्त सुस्थापित विधि सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार की अनुतोष के पात्र नहीं हैं। यदि उनके कोई अधिकार थे भी, तो वे 12 वर्षों से अधिक समय तक अपने अधिकारों के प्रति निष्क्रिय बने रहे हैं। *अन्यथा भी, मात्र चयन हो जाने से याचिकाकर्तागण को उक्त पद पर नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक यह सिद्ध न हो कि चयन सूची में उनके कनिष्ठों की नियुक्ति कर दी गई है या नियुक्तियाँ मनमाने ढंग से चुनने के आधार पर की गई हैं।*

(9) परिणामस्वरूप एवं उपर्युक्त कारणों से, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur